

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय) प्रारूप-8

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश

राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया है।

राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50(1) के प्रावधानानुसार 45 वर्ष की आयु एवं 15 वर्ष की सेवा दोनों ही शर्तें पूर्ण करते हैं, उक्त नियमों के अन्तर्गत कॉलम सं-06 में अंकित दिनांक से निम्नांकित कार्मिक की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र म	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि	वांछित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	जोराराम पंवार व्याख्याता, रामपुरा कलां-पाली	इतिहास	03.03.1964	01.07.1986	01.02.2022
2	रामकरण रावत व्याख्याता, नवरंगपुरा-जयपुर	इतिहास	01.07.1965	07.12.1985	01.01.2022

1-सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष उक्त कार्मिक से ऑडिट सम्बन्धित वसूली/अन्य वसूली निकाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिक की होगी, का सम्बन्धित से स्वयंहस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाकर निर्धारित तिथि का सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित कार्यवाही करें।

2-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि अकार्य दिवस होने के कारण उक्त तिथि का वेतन देय नहीं होगा।

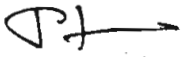
3-यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज दिनांक तक-

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

सत्यमेव जयते



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक-13.12.2021

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31853/स्वै.सेवानिवृत्ति/2021/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान
- 2 सम्बन्धित उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याता के कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर नियमानुसार अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करते हुए उक्तानुसार शाला दर्पण को अद्यतन करें।
- 6 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/एसीआर अनुभाग/एबी अनुभाग-बी-गा/सी-ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा को तत्सम्बन्धित इन्द्राज हेतु।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता/ निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर